Spl (NDPS) Case N0. 27/2022 State of C.G. Gov. Vs Dinesh Soni

Witness No. .. **04** ...for.... **अभियोजन साक्षी** ..Deposition taken the... **04.11.2023** ....day of... **शनिवार** Witness's apparent age. **54 वर्ष**

States on offirmation. **शपथ पूर्वक कथन** my name is .. **कौशल पटेल**

W/son of .. **स्व. दरस राम पटेल** occupation .. **मजदूरी**

address. **बेला कछार, तहसील व जिला-कोरबा छ.ग.**

<u>समय - 01:05 बजे से</u>

01- मैं न्यायालय उपस्थित अभियुक्त को नहीं जानता हूँ ।

02- न्यायालय उपस्थित अभियुक्त से मेरे समक्ष कोई नशीली दवाई जप्त नहीं किया गया है। मैं आज से लगभग साल भर पूर्व अपने नीजी काम से थाना बालको गया था, जहां पुलिस वाले मुझसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे।

03- साक्षी को प्रकरण में संलग्न दस्तावेज धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता का नोटिस प्र.पी.-22, मुखबीर सूचना पंचनामा प्र.पी.-08, वारंट न प्राप्त कर सकने के कारणों का पंचनामा प्र.पी.-09, धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस प्र.पी.-10, स्वयं का एवं पुलिस 12, स्टाफ का तलाशी पंचनामा प्र.पी.-11, गवाहों का तलाशी पंचनामा प्र.पी.-12, पेट्रोलिंग वाहन का तलाशी पंचनामा प्र.पी.-13, आरोपी का तलाशी पंचनामा प्र.पी.-14, बरामदगी पंचनामा प्र.पी.-15, जप्ती पत्रक प्र.पी.-16, सेम्पल पंचनामा प्र.पी.-17 सील नमूना पंचनामा प्र.पी.-18, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.-19, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.-20, तराजू का सत्यापन पंचनामा प्र.पी.-02, नशीली टेबलेट तौल पंचनामा प्र.पी.-03, को दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी का कथन है, कि **प्र.पी.-08 से 20** तक के दस्तावेजों में ब से ब भाग पर

एवं प्र.पी.-02, 03 के स से भागों पर एवं **प्र.पी.-22** के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

नोट :— **इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कौशल प्रसाद श्रीवास के द्वारा धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्षी को पक्ष द्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई। बाद विचार अभियोजन को अनुमति प्रदान की गई।**

04- यह कहना गलत है, कि पुलिस वालों के द्वारा नशीली दवाई के रेड कार्यवाही के संबंध में मुझे उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया था । यह कहना गलत है, कि मेरे समक्ष नशीली दवाई के संबंध में मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया गया था । यह कहना गलत है, कि मैं पुलिस वालों के साथ नशीली दवाईयों के संबंध में किसी रेड कार्यवाही में भाग लिया था । यह कहना गलत है, कि मेरे समक्ष अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई नशीली दवाईयों की जप्ती किया गया है ।

05- यह कहना गलत है, कि मेरे समक्ष अभियुक्त् से जप्त नशीली दवाईयों का तौल कार्यवाही किया गया था। यह कहना गलत है, कि अभियुक्त से बरामद नशीली दवाईयों में से Nitrosum नामक 01 टेबलेट का वजन किया किया गया था, जिसका वजन 0.600 MG हुआ था, तथा Alprazolam नामक 01 टेबलेट का वजन किये जाने पर उसका वजन .0110 MG हुआ था । यह कहना गलत है, कि मेरे समक्ष अभियुक्त से बरामद सभी नशीली दवाईयों का कुल वजन 103.95 ग्राम होना पाया गया था। यह कहना गलत है, कि मेरे द्वारा पुलिस बयान **प्र.पी.-23** के अंश अ से अ भाग "दिनांक 07-10-2021 से ... हस्ताक्षर है" पुलिस को दिया गया है। यह कहना गलत है, कि अभियुक्त मेरे जान पहचान का है, इसलिए उसे बचाने के लिए आज सही बात को नहीं बता रहा हूँ।

-: <u>प्रतिपरीक्षण</u> द्वारा श्री हारून सईद डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस वास्ते अभियुक्त :-

06- यह सही है, कि मेरे द्वारा प्र.पी.-02, 03 एवं प्र.पी.-08 से 20 एवं 22 तक के दस्तावेजों में पुलिस वालों के कहे अनुसार हस्ताक्षर किया गया है । यह सही है, कि उक्त दस्तावेज में क्या लिखा था, इस संबंध में न तो मुझे पुलिस वालों ने पढ़कर सुनाया था और न ही मैंने पढ़ा था । यह सही है, कि मेरे द्वारा उक्त सभी दस्तावेजों पर पुलिस थाना में हस्ताक्षर किया गया है ।

समय 01.20 बजे तक।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाये जाने पर उसने सही होना स्वीकार किया।

सही / –
(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
कोरबा (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित

सही / –
(सुश्री संघपुष्पा भतपहरी)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.)
कोरबा (छ0ग0)